



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा, रायपुर-(छ.ग)- 492005,
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, Email-ro.raipur.ibm@gmail.com

सं [छग/बालोद/लौह/30एमपीआर13002](#)

16-01-2016

fnukad%

प्रेषित: श्री समीर स्वरूप, ऐजेन्ट,
दल्ली मेकेनाइज्ड लौह अयस्क खान,
सर्वश्री स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लि.- भिलाई स्टील प्लांट
पोस्ट - दल्ली राजारा, जिला- बालोद,
छत्तीसगढ़- 491228

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में स्थित झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खान 719.6 ha में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में- खान कोड- 38MPR13002

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 7/12/2016 को श्री जे एस हाडा सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री सत्येन्द्र सिंह सहायक खान प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
23 E (2)	The Annual Report of the protective and rehabilitative works carried out for the year 2015-16 has not been submitted.
45(5)(b)	The annual return for the year 2015-16 has not been submitted online.
46	Notice of appointment of Agent/ Manager of mine has not been submitted.

3 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 45(7)(1)द्व ६ 13(2) के अंतर्गत

(क) खदान की सारी सक्रियाएं बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

4 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बी एल गुर्जर)

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक कैपिटल कॉम्प्लेक्स नया रायपुर छत्तीसगढ़

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो